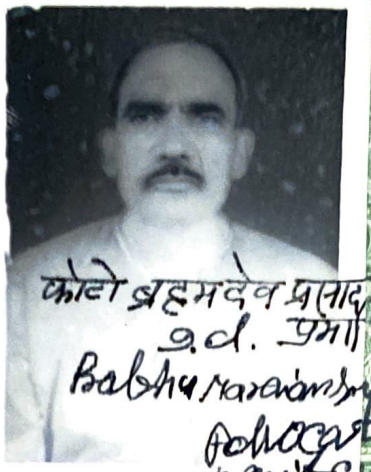

२०रू. 20RS

फोटो ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य
द्वारा प्रमाणित
Babhu narain singh
Advocate
Date 6-9-97

<u>ट्रस्ट डीड</u>

ऑफ

बैजनाथ मेमोरियल ट्रस्ट,

ब्रह्मदेव पुरम मुतेलिके इस्माईलपुर उर्फ मालीपुर, गाजीपुर ।

इस न्यास की घोषणा ग्राम–इस्माईलपुर उर्फ मालीपुर, जनपद–गाजीपुर में दिनांक: 6–9–97 दिन शनिवार सन् 1997 को श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य, निवासी ग्राम–इस्माइलपुर उर्फ मालीपुर, जनपद–गाजीपुर जो न्यास के संस्थापक है ने की । इनके अनुसार न्यास की सम्पत्ति के स्वामित्व की घोषणा न्यास के हित में इस लेख पत्र के शर्तो एवं नियमों के अनुसार किया जाता है । जबकि न्यास के संस्थापक रू0 2500/–(दो हजार पांच सौ) के मात्र इस समय स्वतः दान कर्ता हैं । संस्थापक न्यासी कहलायेंगे । वे उक्त धन को न्यास को सौंप देते हैं तथा इनके अतिरिक्त अन्य लोग जो न्यास लेख पत्र में है न्यासी के नाम से जाने जायेंगें । संस्थापक चाहते हैं कि जो भी धन एवं अन्य सम्पत्ति न्यास को किसी द्वारा दान स्वरूप दी जाती है उसका उपयोग शिक्षा, गरीबों की सहायता एवं जन साधारण के हितोपयोगी कार्यो में लगाया जाय एवं बिना प्रकरण स्पष्ट हुए निजी लाभ अथवा जाति–पात के भेद भाव से निहित कार्यो में व्यय हो । संस्थापक न्यासी एवं अन्य न्यासी जन उपरोक्त कार्यो के समर्थक हैं और उपरोक्त धनराशि धन स्वरूप न्यास को आगे प्राप्त होगी जो श्री बैजनाथ प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट नाम से जानी जायेगी और नियमों से संचालित होता रहेगा ।

न्यासीजन जो यहां पर नियुक्त किये जाते हैं वे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम सभी लोग न्यास के संपूर्ण विषय का स्वामित्व न्यासी के रूप में पद ग्रहण करते हैं जिसे न्यास में वर्णित कार्यो का सम्पादन हो सके । इसके अनुसार कानूनी स्वामित्व न्यास तथा उपरोक्त चयन एवं आगे जो स्वामित्व दान स्वरूप प्राप्त होगी न्यास के समुचित प्रबंध के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण हो इसके लिए नियम तथा बद्धता लाई जाय जिसमें प्रबंध की व्यवस्था तथा न्यासियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख हो इसलिए संस्थापक न्यासी यह उचित समझते हैं कि एक न्यास का लेख पत्र का पंजीकरण कर दिया जाय जिसमें न्याय संगत कुछ शर्ते एवं दशाओं का प्रबंधकीय व्यवस्था हेतु एवं न्यासीजन के अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी उल्लेख हो सके ।

इसप्रकार संस्थापक नयासी द्वारा निम्नलिखित बातों का समावेश न्यास लेख पत्र में किया जाता है, जो निम्नवत है :–

क्रमशः...2///

क्रमशः...3///

1- संस्थापक न्यासी जो 2500/- दो हजार पांच सौ रूपये नकद धनराशि जिसके एकमात्र स्वामी हैं उसे श्री बैजनाथ प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट को दान स्वरूप हस्तान्तरित करते हैं । जिसका उपयोग व उपभोग न्यास के हित में न्यास में वर्णित उद्देश्यों एवं कार्यो की पूर्ति में होगा और संस्थापक न्यासी एवं दाता न्यासी जन अपने द्वारा दिये गये धन और भूमि के अपने अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य का परित्याग उक्त न्यास के नाम एवं हित में करते है आगे भी करते रहेंगें ।

2- 2500/- दो हजार पांच सौ रूपये की धनराशि जो संस्थापक नयासी द्वारा दी जाती है । वह नयास के नाम से अंकित होगी ।

3- न्यास का नाम श्री बैजनाथ प्रसाद मेमोरियल न्यास होगा ।

4- "शब्द न्यास सम्पत्ति" का अर्थ उपरोक्त धनराशि एवं भूमि तथा इसके अतिरिक्त आगे जो भी आये जिस किसी रूप से नयास के नाम से आयेगी या होगी अथवा जो सम्पत्ति चल व अचल इसमें समय पर निहित होगी । अथवा इस नयास को किसी साधन से मिलेगी दानकर्ता की जैसी इच्छा होगी वह न्यास की सम्पत्ति होगी । न्यास का मुख्य कार्यालय ग्राम-इस्माइलपुर उर्फ मालीपुर पो0-नोनहरा, जनपद-गाजीपुर तत्कालीन होगा । न्यासीगण अपने सुविधा के अनुसार इसका स्थल समय-समय पर परिवर्तित कर सकते हैं तथा न्यास का बढ़ते हुए कार्य के अनुसार भारत-देश विदेश के किसी भी भाग में अपना न्यास का उप कार्यालय खोल सकेंगें ।

5- न्यासीगण न्यास को कायम करेंगें तथा इसके न्यास के तरफ से स्वामी होगें जिसको निम्न अधिकार होगा ।

(क) वह धन का व्याज, बोनस, आमदनी प्राप्त करेगा तथा इसकी वसूली में जो भी खर्च होगा न्यास कोष से भुगतान होगा ।

(ख) अदा करने अथवा उपभोग करने व्याज बोनस एवं अन्य आय के श्रोत न्यास के अधिनस्थ होगें तथा नयास द्वारा वर्णित कार्यो में से जैसे-दान, कार्य सम्पादन, ब्याज आदि चाहे वह भारत के अन्तर्गत या विदेश हो। बिना जाति पात के भेद भाव के न्यासी लोग शिक्षा, सामाजिक कार्य, कृषि सुधार अथवा गरीबों के भलाई के लिए समय-समय पर खर्च कर सकेगें । जो कि आयकर अधिनियम सन् 1961 अथवा अन्य समयानुकूल परिवर्तनों के सामानान्तर होगा ।

(ग) यह घोषित किया जाता है कि नयासी गण न्यास कोष में जो भी धन निहित होगा उसका खर्च आम जनता के भलाई के कार्यो में जहां जातिगत भेद भाव आधार न हो खर्च कर सकते हैं । न्यास कोष का निम्न रूप के कार्या में व्यय किया जा सकता है ।

क्रमशः . . 3///

20 Rs.

(अ) सर्व साधारण के हित में भारत की सीमा या विदेश में उच्च शिक्षा सामाजिक, कृषि संबंधी, वैज्ञानिक शोध एवं विकास के लिए होगी । इसके अलावा भारत देश में सामुदायिक विकास केन्द्रो, अनुसंधान केन्द्रों, महिला विकास कार्यक्रम एवं अन्य राष्ट्रीय विकास के कार्यो में व्यय होगा ।

(ब) बिना जातिगत भेद भाव करते हुए गाजीपुर जनपद या उत्तर प्रदेश में कहीं भी सामुदायिक विकास जैसे- आर्थिक, शैक्षिक विकास के कार्यो में अनुदान या सहयोग के रूप में व्यय किया जा सकता है ।

(स) गरीबों में निःशुल्क शिक्षा हेतु अनुदान जरूरत मंदों को अनुदान एवं इसी प्रकार के कार्या में ।

(द) शिक्षा के क्षेत्र में ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीबो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने में अनुदान देना ।

(ध) मानव में बराबरी के विचार के विकास एवं सामाजिक नयाय के प्रचार एवं प्रसार हेतु ।

(न) सारे विश्व में महात्मा बुद्ध, महात्मा ज्योति राव फुले व डा0 भीमराव अम्बेडकर के विचारों ,दर्शन, मिशन के प्रचार एवं प्रसार हेतु ।

(प) शैक्षिक केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, प्रेस, अखबारों के विज्ञापन, पुस्तको का प्रकाशन जो सामाजिक विकास, देश की अखण्डता एवं एकता में सहायक हो के लिए ।

(फ) शारीरिक रूप से विकलांग, मूक, एवं अंधे बच्चों के लिए केन्द्रो की स्थापना करना ।

6- यह घोषित किया जाता है कि न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति के निजी लाभ हेतु व्यय नहीं होगा जैसा कि उपरोक्त बातों के संबंध आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित हैं ।

7- न्यास की सम्पत्ति न्यासियों में निहित होगी जो उसके रख-रखाव, प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी होगें और उसी अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगें जैसे- नीचे व्यवस्था दी गई है । न्यासियों की मृत्यु के उपरांत न्यासियों के उत्तराधिकारी न्यासी होगें ।

1- न्यास में कम से कम दो और अधिक से अधिक 21 न्यासी एक समय रहेंगें और यही लोग न्यास परिषद के अंग होगें । निम्न लोग इस प्रथम न्यास परिषद के नयासी जन होगें जिनके नाम, पता एवं हस्ताक्षर दिये गये हैं ।

नाम/पिता का नाम	पता	न्यासी	हस्ताक्षर
1- श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य पुत्र-बैजनाथ प्रसाद	गाम-इस्माइलपुर उर्फ मालीपुर पो0-नोनहरा, पर0-मुहम्मदाबाद जनपद - गाजीपुर ।	संस्थापक न्यासी अध्यक्ष	ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य

क्रमशः....4////

20 Rs.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

२०रू. TWENTY RUPEES 20 Rs.

2– श्री भानु प्रताप मौर्य पुत्र–श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मार्य	ग्राम–इस्माईलपुर उर्फ मालीपुर पो0–नोनहरा परगना–मुहम्मदाबाद जनपद– गाजीपुर ।	न्यासी "	भानु प्रताप मौर्य
3– श्री विक्रमा प्रसाद मौर्य पुत्र–श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मार्य	ग्राम–इस्माईलपुर उर्फ मालीपुर पो0–नोनहरा परगना–मुहम्मदाबाद जनपद– गाजीपुर ।	" "	विक्रमा प्रसाद मौर्य
4– श्रीरामदरश सिंह कुशवाहा पुत्र– श्री देवनन्दन सिंह	ग्राम–रसूलपुर हबीबुल्ला पो0–भाला परगना– मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर ।	" "	रामदरश सिंह कु0
5– श्रीमती कलावती देवी पत्नी–श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य	ग्राम–इस्माईलपुर उर्फ मालीपुर पो0–नोनहरा, परगना–मुहम्मदाबाद जनपद– गाजीपुर ।	"	निशानी अंगूठा कलावती देवी
6– श्रीमती पूनम पत्नी–श्री विक्रमा प्रसाद मौर्य	ग्राम–इस्माईलपुर उर्फ मालीपुर पो0–नोनहरा, परगना–मुहम्मदाबाद जनपद – गाजीपुर ।	"	पूनम मौर्या
7– श्रीमती विभा उर्फ व्रिन्दा पत्नी–श्री रामदरश सिंह कुश0	गाम–रसूलपुर हबीबुल्ला पो0– भाला परगना–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर ।	"	विभा मौर्या
8– श्रीमती सुमन देवी पत्नी–श्री भानु प्रताप मौर्य	ग्राम–इस्माईलपुर पो0– मालीपुर पो0–नोनहरा, परगना–मुहम्मदाबाद जनपद – गाजीपुर ।	"	सुमन देवी
9– श्री शिवपूजन सिंह पुत्र–स्व0 राम सुंदर सिंह	ग्राम–बैलसड़ी पो0–रेवसड़ा परगना–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर ।	"	शिव पूजन सिंह

ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य

2– श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य आजीवन इस न्यास परिषद के अध्यक्ष होगें । यह सभी बैठकों के अध्यक्ष होगें । परिषद के प्रत्येक बैठक में अपना एक विशेष वोट देगें । न्यासीजन की बैठक में मत विभाजन के अवसर पर यदि आवश्यक समझेगें तो ताई वोट प्रदान करेगें । इनके मृत्यु के उपरांत अध्यक्ष के वारिसान ही इस न्यास परिषद के अध्यक्ष होगें ।

3– एक न्यासी निम्न परिस्थितियों में अपने पद से हटाया जा सकता है :

(क) स्वतः पद त्याग पर

(ख) दिवालिया होने पर

(ग) एक समर्थ न्यायालय के द्वारा पागल घोषित होने पर

(घ) यदि वह समर्थ न्यायालय से किसी अनैतिक अपराध में दण्डित हो गया हो ।

क्रमशः. . . .5/////

4- न्यास परिषद एक या एक से अधिक न्यासी की नियुक्ति या चुनाव कर सकता है । यदि किसी न्यासी की मृत्यु या पद त्याग से कोई न्यासी का स्थान रिक्त होता है ।

5- न्यासी जन जिनका नाम क्लाज (1) में अंकित है अपने जीवन भर उक्त पद पर बने रहेंगें और यदि कोई न्यासी मर जाता है तो उसका वारिश उसके स्थान पर न्यासी बनेगा ।

9- न्यासी जन न्यास लेख पत्र में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी व्यय न्यास की सम्पत्ति या न्यास कोष से वहन करेंगें ।

10- न्यासीजन को नयास क विकास हेतु पूर्ण अधिकार होगा वे चाहे वाह्य या आन्तरिक हो जैसे- न्यास लेख पत्र में वर्णित है ।

11-(क) न्यासीजन न्यास सम्पत्ति हैं । जो भी आय होगी उसका उपयोग नास लेख पत्र में वर्णित कार्यो एवं उद्देश्यों के निष्पादन में भारत या विदेश में न्यास में वर्णित शर्तो के अनुसार करेगें और जहां संपूर्ण आय का उपयोग पूर्ण रूप में करना सम्भव न हो तो आयकर अधिनियम की धारा 11 के अनुरूप उपयोग किया जायेगा या उक्त अधिनियम में वर्णित अन्य व्यवस्था के अनतर्गत न्यास सम्पत्ति से आयकर मुक्ति के लाभ से न्यास वंचित न हो सकें ।

(ख) यदि न्यास कोष को भारत से बाहर व्यय करना है तो ऐसी दशा में केन्द्रीय बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज से स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा ।

12- न्यासीजन नवीन भवन, नई सम्पत्ति अंश रूप या पूर्ण रूप या इसका विनियम का क्रय न्यास हित में कर सकेंगें ।

13- न्यासीजन किसी समय यदि आवश्यक समझते हैं या लाभकर न्यास हित में किसी से ऋण या उधार धन ले या डगा सकते हैं ।

14- न्यासीजन किसी व्यक्ति, निगम संस्था, राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी देश या किसी अन्य न्यास से दान स्वरूप या अनुदान या किसी रूप में चल या अचल सम्पत्ति ग्रहण न्यास के हित एवं न्यास के कार्यो एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर सकेंगें और इस प्रकार अर्जित धन एवं सम्पत्ति न्यास की सम्पत्ति होगी जैसा कि दाता की मनसा से पूर्ण लक्षित हो । ऐसे प्राप्त धन एवं सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोग न्यासीजन के आम सहमति से न्यास लेख पत्र में दी गई व्यवस्था के अनुरूप होगा ।

15- न्यासीजन को अधिकार होगा कि किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बैंक में न्यास का खाता खोल सकते हैं तथा न्यास के कार्य हेतु लेन-देन कर सकते हैं । बैंकों में यह धन चालू खाता या अन्य खातों (5)

क्रमशः..6//////

में जमा हो सकता है । ऐसा खाता संस्थापक न्यासी एवं एक अन्य न्यासी के नाम संयुक्त नाम से खोला जायेगा और समय-समय पर जो भी धन या लाभ न्यास के नाम प्राप्त होगें इसमें जमा होगें ।

16- न्यासीजन न्यास कोष को अपने हाथ में लेकर न्यास के हित में आयकर अधिनियम के नियमों एवं प्राविधान का पालन करते हुए खर्च करेंगें या जैसा समय-समय पर उनक द्वारा तय किया जाय ।

17- न्यासीजन न्यचास का लेखा जोखा तथा उसकी सम्पत्ति एवं खर्च का ब्यौरा सही रखेंगें और प्रत्येक वर्ष पूरे हिसाब किताब का लेखा जोखा तैया किया जायेगा जो किसी चार्टर एकाउटेन्ट द्वारा संबंधित ल बैलेन्स सीट का पुर्नरीक्षण एवं प्रमाणित कराना होगा ।

18- न्यासीजन इस कार्य हेतु एक चार्टड एकाउन्ट या अधिक चार्टर्ड एकाउन्टेंट समय-समय पर आवश्यकतानुसार उचित पारिश्रमिक शुल्क पर रख सकते हैं । इस प्रकार तैयार वार्षक लेखा जोखा का विवरण एवं बैलेन्स शीट एवं आडिटेड लेखा जोखा के अभिलेख नयासीजन द्वारा हस्ताक्षरित होंगें ।

19- न्यास के मुख्य एकाउन्ट्स बुक्स प्रधान कार्यालय पर या किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित रखे जायेगें जैसा कि समय-समय न्यासीजन की सहमति हो ।

20- न्यासीजन, वेतन भोगी तथा अवैतनिक सचिव, प्रबंधक या दूसरे अधिकारी या अध्यापक या सामाजिक या शैक्षिक व्यक्तियों को नयास के प्रबंध के लिये रख सकते है और उनका खर्च वहन कर सकते हैं जिससे न्यास के सभी कार्य सही ढंग से समय के अन्दर सम्पन्न हो सकें ।

21- न्यासीजन प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार अपनी बैठक आहूत करेंगे स्थान एवं समय न्यासीजन के बैठक का उनके द्वारा तय किया जायेगा और न्यास का कार्य तदानुसार उनके द्वारा सर्व सम्मति या बहुमत के द्वारा होगा । न्यासीजन को न्यास के कार्य को सही ढंग से संचालित करने हेतु नियम उप नियम एवं रेगुलेशन बनाने का अधिकार होगा ।

22- कोई भी न्यासी न्यास परिषद की बैठक एक सप्ताह पूर्व या कम समय की नोटिस जैसा न्यासीजन तय करें बैठक आहूत कर सकता है । न्यास परिषद की बैठक संस्थापक न्यासी के राय एवं स्वीकृति से सचिव एवां प्रबंधक द्वारा बुलाई जा सकती है ।

23- न्यास परिषद के बैठक का कोरम न्यासीजन यदि कोई व्यवस्था नहीं तय कर दी जाय पूरे संख्या का 1/3 होना आवश्यक है ।

24- न्यासीजन के बहुमत द्वारा हसताक्षरित कोई प्रस्ताव जो प्रत्येक न्यास तक अवलोकनार्थ भेजा जा चुका है वह न्यासी परिषद के बैठक में पारित प्रस्ताव का वैद्यानिक असर रखेगा ।

25- न्यासीजन के बैठक में मतभेद होने पर बहुमत की राय सर्व मान्य होगी । न्यासीजन के बैठक गति बराबर होने पर परिषद के चेयर मैन को अपना कास्टींग वोट देने का अधिकार होगा ।

26- यदि न्यास द्वारा कोई शिक्षा संस्था स्थापित की जाती है चाहे उनका संचालन का नियंत्रण केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद या प्रान्तीय शिक्षा परिषद द्वारा हो ऐसी दशा में जो भी सरकार अनुपालन न्यास के हित को प्राथमिकता देते हुए पालन किया जायेगा ।

क्रमश...7///

27- न्यासीजन द्वारा नेक नियती न्यास का हर कार्य जो न्यास के हित में सम्पादित किया गया है यदि किसी कारणवश कोई हानि हो जाती है तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जिम्मेदार या देनदार नहीं होगें । बशर्ते की वह उनके द्वारा धोखा घड़ी या जानबूझकर न किया गया हो ।

28- न्यास के लक्ष्य एवं कार्य उद्देश्य एवं न्यास लेख पत्र के नियम एवं प्राविधान विधि समस्त बनाये गये जिसकी वजह से न्यास लेख पत्र कभी असफल न हो , यदि न्यासीजन पाते हैं या जानकार हो जाते हैं कि न्यास लेख पत्र के प्राविधान विधि अनुकूल नहीं है तो यह उनका कर्तव्य होगा कि उन्हें शीघ्र विधि समस्त बनाकर न्यास लेख पत्र को सही कर देगें ताकि अन्य इसके प्राविधान अवैद्य करार किया जा सके ।

29- न्यास अपने सम्पत्ति एवं हित के सुरक्षा एवं रक्षा हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा चेयरमैन ही या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति न्यास के तरफ से न्यायालयों में वाद की पैरवी कर सकता है. ।

30- न्यासीजन के बीच न्यास की सम्मति या प्रबंध के संबंध में कोई विवाद यदि पैदा होता है तो ऐसी दशा में यह मामला किसी के द्वारा न्यायालय में नहीं लाया जायेगा बल्कि न्यासीजन द्वारा शीघ्र "पंच" सर्वसम्मत से नियुक्त करके "पंच फैसला" द्वारा [illegible] होगा एवं वही फैसला अन्तिम फैसला माना जायेगा ।

31- न्यासीजन आवश्यकतानुसार न्यास लेख पत्र प्रारम्भिक संरचना में संशोधन, परिवर्तन बढ़ाव या अनुच्छेद न्यास के हित में कर सकते हैं ।

32- यदि न्यास कभी परिस्थिति में न्यास भंग किसी कारण से होता है तो इसकी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति न्यास के संस्थापक न्यासी एवं दाता न्यासीजन या अन्य दाता द्वारा दान स्वरूप दी गई या प्राप्त की गई उनके दाताओं की हो जायेगी । यदि दाता नहीं जीवित है तो उनके जायज एवं उनके कानूनन वारिश उनके स्वामी हो जायेगें ।

न्यास को इस प्रकार मूर्त रूप देने हेतु संस्थापक न्यासी ने आज इस न्यास लेख पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि किये हैं

1. साक्षी:

2.

हस्ताक्षर
ब्रह्मदेव प्रसाद मौर्य

दिनांक: 6-9-97

स्थान- ~~गाजीपुर~~ । मु/बाद